मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्‌यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010
Ph. (0734) 2512101
E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in Fax (0734) 2512102

क्रमांक/मा.चि./2023/ 2042 उज्जैन, दिनांक 24 MAR 2023

प्रति,

वन संरक्षक
सामान्य वनमण्डल
देवास

विषयः— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 59ए (नया रा.रा.क्रं. 47) डिजाईन कि.मी. 29.300 से 92.811 तक / वर्तमान (पी.डब्ल्यू.डी.) कि.मी. 29.555 तक के लिए के उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति बाबद। (FP/MP/ROAD/149883/2021)

संदर्भः— आपका पत्र क्रं. / माचि / 2023 / 1424 दिनांक 16—02—2023 ।

विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार ऑनलाईन प्रकरण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 59ए (नया रा.रा.क्रं. 47) मे प्रभावित 40.043 हे. वनक्षेत्र के एवज मे दुगने बिगड़े वनक्षेत्र 85.00 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तकनीकी अनुमोदन हेतु निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की है।

वृक्षारोपण का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. मे)	वर्ष	प्रथम वर्ष राशि रू. मे	कुल राशि रू. मे
वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट कचनारिया	पी—46	40.00	2022—23 से 2032—33	5230000	19360000
	पी—46	45.00	2022—23 से 2032—33	6000000	21780000
	योग :—	**85.00**		**11230000**	**41140000**

उपरोक्तानुसार प्रेषित 11 वर्षीय योजना का तकनीकी अनुमोदन किया जाकर प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— तकनीकी अनुमोदन आदेश।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक/मा.चि./2023/ 2043 उज्जैन, दिनांक 24 MAR 2023

प्रतिलिपि :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

संलग्न :— तकनीकी अनुमोदन आदेश।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

E:\data\D\I\Ashu`s Documents\DM111\2010\2023\TS 2023\DEWAS\FCA\FCA LETTER.doc

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: **आदेश** ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2023/ 15 उज्जैन, दिनांक 24/03/2023

प्रकरण अन्तर्गत वन संरक्षक सामान्य वनमण्डल देवास द्वारा उनके पत्र क्रं. / माचि / 2023 / 1424 दिनांक 16–02–2023 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार ऑनलाईन प्रकरण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 59ए (नया रा.रा.क्रं. 47) मे प्रभावित 40.043 हे. वनक्षेत्र के एवज मे दुगने बिगड़े वनक्षेत्र 85.00 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तकनीकी अनुमोदन हेतु निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की है।

परिक्षेत्र / बीट का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. मे)	वर्ष	प्रथम वर्ष राशि रू. मे	कुल राशि रू. मे
परिक्षेत्र देवास / बीट कचनारिया	पी–46	40.00	2022–23 से 2032–33	5230000	19360000
	पी–46	45.00	2022–23 से 2032–33	6000000	21780000
	योग :–	**85.00**		**11230000**	**41140000**

वन संरक्षक, (सा.) वनमण्ड़ल देवास द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यो की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वन संरक्षक देवास द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

24) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिशचित करें।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/ 2041 उज्जैन, दिनांक 24 MAR 2023

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वन संरक्षक (सा.) वनमण्डल देवास की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2023/1424 दिनांक 16–02–2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक